

कार्यालय ज्ञाप

सतद्वारा उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० के अन्तर्गत कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों/आधिकारियों एवं उन पर पूर्णतः आश्रित परिवारों की चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति प्रत्येक वित्तीय अधिकारों के प्रति-निधायन के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती उ० प्र० राज्योक्त परिषद् द्वारा निर्गत समस्त आदेशों का अतिक्रमण करते हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति स्वीकृति करने हेतु वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत् किया जाता है।

अधिकारिता का पदानुसार

प्रतिपूर्ति की अधिकतम धनराशि

1. अधिमाती अभियन्ता	रु० 3000/- तक
2. उपमहाप्रबन्धक	रु० 7000/- तक
3. महाप्रबन्धक	रु० 15000/- तक
4. मुख्य महाप्रबन्धक	रु० 20,000/- तक
5. मुख्य अभियन्ता जल वेद्युत	रु० 50,000/- तक
6. निदेशक का.प्र. एवं प्रशासन	रु० 1,00,000/- तक
7. निदेशक का.प्र. एवं प्रशासन § निदेशक वित्त की सहमाति से	रु० 1,00,000/- से अधिक

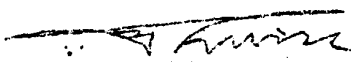
2. उपरोक्त वित्तीय अधिकारों का प्रयोग करने हेतु केवल वे ही अधिकारी तक्षम होंगे जिन्हें अधिकृत कार्य आवंटित होंगे।

3. सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं उन पर पूर्णतः आश्रित परिवार के सदस्यों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के समस्त प्रकरणों का निस्तारण कारपोरेशन मुख्यालय से ही किया जायेगा।

4. कारपोरेशन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह भी निर्णय लिया गया है कि सरकारी अस्पतालों एवं पूर्ववर्ती परिषद्/कारपोरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में "आउट डोर फेजेंट" के रूप में डायालिसिस कराने पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति भी अनुमन्ध होगी।

5. यह आदेश दिनांक 24.9.2001 से प्रभावी होगी।

शक्ति



अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

सं 2981-1-ओस-17/पाकालि/2001 तद्विना

प्रतिनीति निम्नोक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यककार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा० मंत्री ऊर्जा, उ०प्र० शासन के निजी सचिव.
2. मा० राज्य मंत्री, ऊर्जा, उ०प्र० शासन के निजी सचिव.
3. सचिव, ऊर्जा, उ० प्र० शासन, लखनऊ.
4. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता जलविद्युत, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०
5. अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग/जॉय समिति, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०
6. समस्त वीरेष्ट कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पा० का० लि०
7. उप सचिव कार्मिकी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० शक्ति भवन, लखनऊ
8. कारपोरेशन मुख्यालय के समस्त अधिकारी/अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव प्रशासनिक एवं लेखा स्तम्भ
9. मुख्य नैतिकता अधिकारी, शक्ति भवन, लखनऊ
- 10 सम्बन्धित पत्रावली

6/10/01

आज्ञा से,

रवि प्रकाश मिश्र
कार्मिक अधिकारी